राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.6(179) परि/कर/मु./2015/पार्ट–1 / 30966 जयपुर, दिनांक :– 26.11.2015
27.

कार्यालय आदेश 38/2015

विषयः– एक मुश्त कर जमा कराये जाने वाले वाहनों पर देय कर एवं वसूली के संबंध में दिशा–निर्देश।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 (सी) में परिवहन वाहनों पर एक मुश्त कर लागू करने का प्रावधान है। विभाग द्वारा दिनांक 01.08.2014 को एवं इसके पश्चात पंजीयन/पुनःपंजीयन होने वाले समस्त टैक्सी, मैक्सी वाहनों तथा 3000 kg से अधिक एवं 7500 kg तक सकल यान भार के भार वाहनों पर एक मुश्त कर की देयता अनिवार्य की गई थी। तत्पश्चात पुनः दिनांक 09.03.2015 को अधिसूचना क्रमांक प.6(179) परि/कर/मु./95/3 जारी कर दिनांक 01.04.2007 एवं इसके पश्चात पंजीकृत होने वाले उक्त श्रेणी के सभी वाहनों पर एक मुश्त कर की देयता अनिवार्य की गई थी। उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात वाहन स्वामी उक्त एक मुश्त कर की देय राशि एक बार में अथवा वाहन की पंजीयन तिथि से 1 वर्ष की अवधि में 6 समान किस्तों में भी जमा करवा सकता है।

ऐसा देखा गया है कि उक्त श्रेणी के ऐसे वाहन स्वामियों जिन्होने देय एक मुश्त कर राशि 6 समान किस्तों में जमा करवाने का विकल्प दिया है द्वारा देय किश्तों का भुगतान निर्धारित अवधि में नही किया जा रहा है। काफी बडी संख्या में ऐसे वाहन कर की देय किश्त जमा करवाये बिना संचालित किये जा रहे है जिससे विभाग को राजस्व हानि हो रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम,1951 की धारा 17(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि परिवहन विभाग का ऐसा अधिकारी, जो परिवहन उपनिरीक्षक के स्तर से कनिष्ठ ना हो, के द्वारा ऐसे वाहन को जब्त कर सकता है।

अतः उक्त राजस्व हानि को रोकने के उद्देश्य से सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता हैः–

1. सभी उड़नदस्ते भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उपरोक्त श्रेणी के वाहनों की विशेष रूप से जांच करेंगे एवं चैकिंग के दौरान एक मुश्त कर की देय राशि के निर्धारित समयावधि में जमा नही पाये जाने पर नियमानुसार जब्त करेगें।
2. यह भी संभावना है कि वाहन स्वामी/चालक द्वारा चैकिंग के दौरान मौके पर एक मुश्त कर की राशि जमा कराने की रसीदें प्रस्तुत की जायें। ऐसी स्थिति में चैकिंग अधिकारी का यह दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित करें कि वाहन स्वामी/चालक द्वारा चैकिंग की दिनांक तक समस्त देय किश्तों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। जिन प्रकरणों में सम्पूर्ण देय किश्त का भुगतान नहीं किया गया है उन प्रकरणों मे ऐसे वाहनों को अन्तर कर की राशि जमा कराने के अभाव में जब्त किया जाये।
3. यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान मोटरवाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 15 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाहन स्वामी संबंधित कराधान अधिकारी से MTC V पुस्तिका प्राप्त कर इस पुस्तिका में उसके द्वारा एक मुश्त कर की जमा देय किश्त की राशि का इंद्राज करावे एवं ऐसा नही किया जाना अधिनियम की धारा 11(2) के तहत दण्डनीय है। अतः ऐसे वाहन स्वामी/चालक जिनके द्वारा मौके पर केवल देय किश्तों की रसीद प्रस्तुत की गई है के विरूद्ध भी अभियोग बनाया जावे।
4. प्रायः यह भी देखा गया है कि विभिन्न कराधान अधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों को जारी MTC V पुस्तिका में वाहन स्वामी द्वारा देय समस्त किश्तों का उल्लेख नही किया जाता है वहीं कतिपय प्रकरणों में जहां देय किश्तों का ईन्द्राज किया जा चुका है में वाहन स्वामी द्वारा जमा कराई गई किश्त की कम राशि का उल्लेख कर MTC V वाहन स्वामी को लौटा दी जाती है जिससे ना केवल राजस्व की हानि होती है अपितु चैकिंग अधिकारियों में भी यह भ्रम उत्पन्न होता है कि वाहन स्वामी द्वारा देय किश्त का भुगतान किया जा चुका है। अतः सभी कराधान अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी के वाहनों के पंजीयन के समय आवश्यक रूप से MTC V जारी की जावे एवं MTC V में वाहन स्वामी द्वारा देय किश्तों एवं किश्त जमा कराने की अवधि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

5. चुंकि उपरोक्त श्रेणी के सभी वाहनों के लिए एक मुश्त कर की राशि पंजीयन तिथि से एक वर्ष में एवं दिनांक 01.04.2007 से पंजीकृत वाहनों के लिए एक मुश्त कर की राशि दिनांक 31.03.2016 तक देय हो रही है। इस प्रकार आदिनांक तक ऐसे पुराने वाहनो की 4 किश्त देय हो चुकी है। अतः चैकिंग के दौरान इन देय किश्तों की वसूली सुनिश्चित करें। वहीं 31.03.2016 तक सभी 6 किश्तों का जमा होना सुनिश्चित करें।
6. चुंकि सभी वाहनों के लिए पंजीयन तिथि से एक वर्ष की अवधि में एक मुश्त कर की सम्पूर्ण राशि जमा की जानी हे ऐसी परिस्थिति में कराधान अधिकारीयों का ऐसे वाहनों का नियमित पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है क्योंकि लगभग प्रत्येक दिन किसी ना किसी वाहन पर एक मुश्त कर की किश्त देय हो रही है। अतः सभी कराधान अधिकारी नियमित रूप से प्रत्येक दिन यह सुनिश्चित करें कि वाहनों पर देय एक मुश्त कर की किश्त निर्धारित अवधि में जमा हो रही है या नहीं। कराधान अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रतिदिन पर्यवेक्षण के पश्चात एक मुश्त कर की किश्त नही दे रहे वाहनों की सूची तैयार कर संबंधित निरीक्षक/उपनिरीक्षक को इस देय राशि की वसूली हेतु उपलब्ध करावें। वहीं राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 8 के तहत एम. टी. आर. नोटिस जारी कर प्रपत्र एम. टी. क्यू. में मांग पत्र जारी करें एवं इसका उल्लेख डी. सी. आर. में भी किया जावे तथा इस संबंध में पूर्व में जारी विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 23/2014 की अनुपालना भी सुनिश्चित करें एवं इस आदेश में दिये गये प्रारूप में चाही गई सूचना दिनांक 15.12.2015 तक तत्पश्चात नियमित रूप से इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
7. प्रायः यह भी देखा गया है कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने अधीन परिवहन जिलों का पर्यवेक्षण करते समय उपरोक्त वाहनों के संबंध में संधारण किये गये रिकोर्ड एंव देय कर का सुचारू निरीक्षण नहीं कर रहे है जिसके परिणामस्वरूप काफी बडी संख्या में ऐसे वाहन बिना कर जमा कराये संचालित हो रहे है। जिससे राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नही हो पा रही है। अतः उन्हे निर्देशित किया जाता है कि परिवहन जिले का पर्यवेक्षण करते समय अन्य निरीक्षण कार्यों के अतिरिक्त सभी वाहनों का पूर्ण कर एवं विशेष रूप से इन वाहनों का कर निर्धारित समयावधि में जमा होना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त आदेशों की कठोरता से अनुपालना सुनिश्चित की जावे। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले पर्यवेक्षणिय अधिकारियों, कराधान अधिकारियों/कार्मिकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध कार्य में लापरवाही बरतने के कारणों से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(गायत्री राठौड)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.6(179) परि/कर/मु./2015/पार्ट–1/30967-72 जयपुर, दिनांक :– 26.11.2015
प्रतिलिपीः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही की अनुपालना सुनिश्चित करावें। साथ ही इस कार्य की नियमित मोनिटरिंग करें।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
3. श्री संजय सिंघल, SA को विभाग की वेबसाईट की अप्डेटिंग हेतु।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)